

सविलि सेवकों के लिये आचरण नयिमावली

प्रलिमिंस के लिये:

अखलि भारतीय सेवा (आचरण) नयिमावली 1968, [संवैधानिकि मूल्य](#), [अर्द्ध-न्यायकि शक्ति](#), [अनुच्छेद 311](#), प्रत्यायोजति वधिान ।

मेन्स के लिये:

लोकतंत्र में सविलि सेवाओं की भूमिका, सविलि सेवकों द्वारा सोशल मीडिया की सक्रियता के नहितार्थ ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल में अखलि भारतीय सेवा (आचरण) नयिमावली, 1968 (AIS नयिमों) के उल्लंघन का हवाला देते हुए दो आईएसएस अधिकारियों को नलिंबति कयिा गया है ।

- एक आईएसएस अधिकारी ने अपने वरषिठ सहकर्मी के खलिाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टपिपणी की थी जबकि एक अन्य को कथति तौर पर धर्म आधारति व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिये नलिंबति कयिा गया ।

अखलि भारतीय सेवा (आचरण) नयिमावली, 1968 में क्या प्रावधान हैं?


- **परचिय:** यह नयिम आईएसएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा अधिकारियों के आचरण में [नषिपकषता](#), [सत्यनषिठा](#) और [संवैधानिकि मूल्यों](#) के पालन को सुनशिचति करने के उद्देश्य से **नैतिकि एवं पेशेवर मानकों** के आधार है ।
- **उल्लिखति मानक:** उल्लिखति प्रमुख मानकों का सारांश इस प्रकार है ।
 - **नैतिकि मानक:** अधिकारियों को **नैतिकिता, सत्यनषिठा और ईमानदारी** का पालन करना चाहयि । उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कविे अपने कार्यों एवं नरिण्यों में **राजनीतिकि रूप से तटस्थ, जवाबदेह एवं पारदर्शी** बने रहें ।
 - **संवैधानिकि मूल्यों की सर्वोच्चता:** अधिकारियों को **संवैधानिकि मूल्यों को बनाए रखना चाहयि, जसिसे देश के वधिकि ढाँचे** के प्रती प्रतबिद्ध लोक सेवक के रूप में उनके करतत्व्य बने रहें ।
 - **लोक मीडिया में भागीदारी:** अधिकारी **वास्तवकि पेशेवर कषमता के संदर्भ में लोक मीडिया में भागीदारी कर सकते हैं** । हालाँकि उनहें सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिये ऐसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने से प्रतबिधति कयिा गया है ।
 - **वधिकि और मीडिया संबंधी दृषटकिोण:** अधिकारियों को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बनिा न्यायालय या मीडिया के माध्यम से आलोचना के अधीन **आधिकारिकि कार्यों का नविवरण या बचाव करने** की अनुमति नहीं है ।
 - **सामान्य आचरण:** अधिकारियों को कसिी भी ऐसे व्यवहार से बचना चाहयि जो **उनकी सेवा के लिये "अनुचति"** माना जाता हो । इससे सुनशिचति होता है कवि अधिकारी शषिटाचार और व्यावसायकिता का उच्च मानक बनाए रखें ।

AIS नयिम, 1968 से संबंधति मुद्दे क्या हैं?

- **स्पष्ट सोशल मीडिया दशिानरिदेशों का अभाव:** मौजूदा नयिम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अधिकारियों के संचार और आचरण को स्पष्ट रूप से संबोधति नहीं करते हैं ।
 - डिजिटलि जुड़ाव के बढ़ने से **अस्पष्टता** पैदा हो गई है, जसिसे **सीमाएँ नरिधारति करना** और उचित व्यवहार लागू करना **कठनि** हो गया है ।
- **अनुचति आचरण संबंधी खंड:** "सेवा के सदस्य के लिये अनुचति आचरण" शब्द एक व्यापक, अपरभाषति खण्ड है, जो असंगत प्रवर्तन की ओर ले जाता है तथा दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न करता है ।
- **प्रवर्तन में शक्ति असंतुलन:** इन नयिमों का प्रवर्तन प्रायः **वरषिठ अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों** के हाथों में होता है । जूनयिर अधिकारी वरषिठों द्वारा नयिमों के दुरुपयोग के प्रती **संवैदनशील** हो सकते हैं, जसिके लिये पक्षपात और मनमानी कार्यवाहियों के खलिाफ सुरक्षा की आवश्यकता होती है ।

लोकतंत्र में सविलि सेवाओं की भूमिका क्या है?

- **नीति निर्माण:** सविलि सेवक तकनीकी विशेषज्ञता और व्यावहारिक अंतरदृष्टि प्रदान करते हैं जो सार्वजनिक नीति के निर्माण और निर्धारण में मदद करते हैं।
- **नीतियों का क्रियान्वयन:** सविलि सेवक वधायिका द्वारा पारित नीतियों के क्रियान्वयन के लिये ज़िम्मेदार होते हैं। इसमें कानूनों और नीतियों के व्यावहारिक अनुप्रयोग की देखरेख करना शामिल है।
- **प्रत्यायोजित वधान:** सविलि सेवकों को प्रायः प्रत्यायोजित वधान के तहत वसित्त नियम और वनियम बनाने का काम सौंपा जाता है। वधानमंडल रूपरेखा निर्धारित करता है, जबकि सविलि सेवक दैनिक सरकारी कार्यों के लिये आवश्यक वशिष्टताओं को परभाषित करते हैं।
- **प्रशासनिक न्यायनरिणयन:** सविलि सेवकों के पास **अर्द्ध-न्यायिक शक्तियाँ** भी होती हैं और वे नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।
 - यह सार्वजनिक हति में, वशिष रूप से कमज़ोर समूहों या तकनीकी मुद्दों के लिये त्वरति, नशिपक्ष नरिणय सुनशिचति करता है, तथा समय पर वविाद समाधान की सुवधि प्रदान करता है।
- **स्थरिता और नरितरता:** सविलि सेवक चुनाव-प्ररेरति राजनीतिक परविरतनों के दौरान शासन में स्थरिता और नरितरता बनाए रखते हैं, तथा नेतृत्व में बदलाव के बावजूद सुचारू नीति और प्रशासनिक प्रक्रिया सुनशिचति करते हैं।
- **राष्ट्रीय आदर्शों के संरक्षक:** सविलि सेवक राष्ट्र के आदर्शों, मूल्यों और वशिवासों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। वे राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने-बाने की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाते हैं।



सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य

सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य उन मौलिक सिद्धांतों और नैतिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सिविल सेवकों के आचरण तथा उत्तरदायित्वों का मार्गदर्शन करते हैं।



सत्यनिष्ठा

- सत्यनिष्ठा से तात्पर्य नैतिक सिद्धांतों की सुदृढ़ता, चरित्र की भ्रष्टता, ईमानदारी और निष्ठा से है।
- प्रकार:**
 - नैतिक सत्यनिष्ठा
 - बौद्धिक सत्यनिष्ठा
 - पेशेवर सत्यनिष्ठा
- उदाहरण:** सत्येंद्र दुबे (IES अधिकारी)- भारत के पहले मुखबिरों में से एक - ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर किया।

निष्पक्षता

- निष्पक्षता से तात्पर्य निष्पक्ष होने या किसी भी चीज़ या किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण न होने और केवल मामले की योग्यता के अनुसार कार्य करने के गुण से है।
- उदाहरण:** एक अधिकारी को अपने हितों के प्रति पक्षपात दिखाने के बजाय समुदायों की ज़रूरतों के आधार पर धन वितरित करना चाहिये।

गैर-पक्षपात

- किसी भी राजनीतिक दल के प्रति गैर-पक्षपात, यानी राजनीतिक तटस्थता प्रदर्शित करना।
- उदाहरण:** वर्ष 1990-96 तक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में टी.एन. शेषन ने चुनाव प्रक्रिया में गैर-पक्षपात सुनिश्चित करने के लिये बदलाव किये।

वस्तुनिष्ठता

- समानता प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत राय के बजाय तथ्यों का पालन करना।
- उदाहरण:** सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को डिज़ाइन करते समय, धनी/राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूहों का पक्ष लेने के बजाय, वंचित आबादी की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

सहिष्णुता

- अपने से भिन्न विचारों, प्रथाओं, जाति, धर्म आदि का सम्मान, स्वीकृति और सराहना।
- उदाहरण:** अशोक का धम्म (धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक उत्पीड़न को हतोत्साहित करना)

सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण

- प्रतिबद्ध, उत्तरदायी होना और जनहित को सर्वोपरि रखना।
- उदाहरण:** अशोक खेमका 1991 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिये जाने जाते हैं।

नोलन समिति का सार्वजनिक जीवन का सिद्धांत

- सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वालों के नैतिक मानकों की रूपरेखा तैयार करना
- वर्ष 1995 में यू.के. में सार्वजनिक जीवन के मानकों पर समिति की रिपोर्ट सर्वप्रथम **लॉर्ड नोलन** द्वारा निर्धारित की गई
- भारत सहित विभिन्न देशों में लोक सेवकों और अधिकारियों पर लागू
- सिद्धांत:**

- निस्वार्थता
- ईमानदारी
- निष्पक्षता
- जवाबदेहिता
- खुलापन
- ईमानदारी
- नेतृत्व



//

अनुच्छेद 311

- अनुच्छेद 311 (1)** के अनुसार अखलि भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा, जिसने उसे नयुक्त किया था।
- अनुच्छेद 311 (2)** के अनुसार, किसी भी सिविल सेवक को ऐसी जाँच के बाद ही पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा अथवा रैंक में अवनत किया जाएगा जिसमें उसे अपने वरिद्ध आरोपों की सूचना दी गई है तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तयुक्त अवसर प्रदान किया गया है।
- जाँच की आवश्यकता के अपवाद (अनुच्छेद 311 (2)):** नमिन्लखिति परस्थितियों में जाँच की आवश्यकता नहीं है:
 - आपराधिक दोषसिद्धि: हॉ एक व्यक्ति की उसके आचरण के आधार पर बर्खास्तगी या हटाना या रैंक में कमी की जाती है जिसके कारणसे

आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है (धारा 2(a)) ।

- व्यावहारिक असंभवता: जहाँ किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसके रैंक को कम करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी संतुष्ट है कि किसी कारण से उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, ऐसी जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है (धारा 2(b)) ।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जाँच करना उचित नहीं है (खण्ड 2(c)) ।

आगे की राह

- सटीक सोशल मीडिया दिशा-निर्देश: नियमों में अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिकारी ज़िम्मेदार तरीके से सरकारी पहलों के बारे में सार्वजनिक संचार में शामिल हो सकें ।
- 'अनुपयुक्त आचरण' संबंधी धारा को स्पष्ट करना: अस्पष्ट शब्द "सेवा के सदस्य के लिये अनुपयुक्त" को अतीत में ऐसे उदाहरणों की सूची प्रदान करके स्पष्ट किया जा सकता है, जहाँ इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी ।
- ज़िम्मेदार गुमनामी: जनता की सेवा करते समय तटस्थ और नष्पक्ष बने रहने पर जोर दिया जा सकता है, विशेष रूप से सोशल मीडिया के युग में जहाँ वक्त से अधिक दृश्यता को प्राथमिकता दी जाती है ।
- सोशल मीडिया का वक्तव्यपूर्ण उपयोग: अधिकारियों, विशेषकर युवा अधिकारियों को यह याद दिलाया जाना चाहिए कि यद्यपि सोशल मीडिया सरकारी पहलों को बढ़ावा देने का एक साधन है, लेकिन इसे सविलि सेवा की गरिमा और नष्पक्षता को बनाए रखना चाहिए ।
 - उन्हें व्यक्तिगत राय या पक्षपातपूर्ण बयान देने से बचना चाहिए जिससे उनकी तटस्थता पर असर पड़ सकता है ।

प्रश्न: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि सविलि सेवक अपने व्यावसायिक आचरण में नैतिक मानकों को बनाए रखते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न: "आर्थिक प्रदर्शन के लिये संस्थागत गुणवत्ता एक नरिणायक चालक है" । इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सविलि सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिये । (2020)

प्रश्न: प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएँ तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अभिकल्पित की गई थीं, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है । क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिये । (2017)

प्रश्न: "पारंपरिक अधिकारीतंत्रिय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है ।" टिप्पणी कीजिये । (2016)